<u>स्पीड पोस्ट</u>

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 16/07/2019

File No. SM/1/2018/STGBH/SEFCC/RU-III

सेवा में,

आयुक्त,
दिल्ली पुलिस,
द्वितीय तल, एम.एस.ओ भवन,
पुलिस मुख्यालय, आई.टी.ओ,
दिल्ली – 110002

विषयः फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने के संबंध में – श्री सनोज कुमार, ग्राम मटिहान, पोस्ट मटिहान, थाना दरियापुर, जिला छपरा सारण (बिहार) के संबंध में **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली मे दिनांक 18.06.2019 को हुई बैठक का कार्यवृत ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में **दिनांक 18.06.2019** को सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

(डा. ललित लट्टा)
निदेशक

<u>प्रतिलिपिः</u>

1. श्री सनोज कुमार, ग्राम मटिहान, पोस्ट मटिहान, थाना दरियापुर, जिला छपरा सारण (बिहार)
2. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, एन.सी.एस.टी ।
3. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

स्पीड पोस्ट

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांक: 16 / 07 / 2019

File No. SM/1/2018/STGBH/SEFCC/RU-III

सेवा में,

1. निदेशक,
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान,
दिल्ली–मथुरा रोड़, पी.ओ. सीआरआरआई,
नई दिल्ली – 110025

2. जिला कलेक्टर,
जिला – छपरा सारण,
(बिहार)

विषयः फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने के संबंध में – श्री सनोज कुमार, ग्राम मटिहान, पोस्ट मटिहान, थाना दरियापुर, जिला छपरा सारण (बिहार) के संबंध में **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली मे दिनांक 18.06.2019 को हुई बैठक का कार्यवृत ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय **में दिनांक** 18.06.2019 को सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपिः

1. श्री सनोज कुमार, ग्राम मटिहान, पोस्ट मटिहान, थाना दरियापुर, जिला छपरा सारण (बिहार)
2. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, एन.सी.एस.टी ।
3. एस.ए.एस. एन.आई.सी. एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- SM/1/2018/STGBH/SEFCC/RU - III)

श्री सनोज कुमार, ग्राम- मटिहानी, पोस्ट- मटिहानी, थाना- दरियापुर, जिला- छपरा, सारण (बिहार) द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर जगलाल महतो के केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान में नौकरी प्राप्त करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 18.06.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

1. श्री सनोज कुमार, ग्राम- मटिहानी, थाना- दरियापुर, जिला- छपरा(सारण), बिहार द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर जगलाल महतो, ग्राम- गोहपुर, थाना- गरखा, जिला- छपरा(सारण) के केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान में नौकरी प्राप्त करने के संबंध में आवेदन दिया गया था। मामले में आयोग द्वारा संज्ञान लेकर जिला कलेक्टर, छपरा (सारण) बिहार व मुख्य सचिव बिहार को नोटिस भेजकर जानकारी मांगी गई थी।
2. मामले में संबंधित विभाग द्वारा आयोग के समक्ष जानकारी नहीं प्रस्तुत नहीं किए जाने पर दिनांक 15.11.2018 को आयोग में बैठक की गई थी जिसमें केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के अधिकारी डॉ. किशोर कुमार मुख्य वैज्ञानिक और सुधांशु कुमार, वरिष्ठ अधिकारी (सतर्कता विभाग) तथा छपरा जिला प्रशासन की ओर से राजेश कुमार, बी.डब्लू.ओ, गरखा उपस्थित हुए थे। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा निम्नानुसार है -
   - केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध चल रही जांच अति शीघ्र पूर्ण करे और उनके विरुद्ध कृत कार्रवाई की जानकारी आयोग को 15 दिन की अवधि में उपलब्ध कराएं।
3. प्रकरण में जिला कलेक्टर, सारण बिहार तथा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने पर दिनांक 05.04.19 को पत्र जारी किया गया

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार
नई दिल्ली/New Delhi

था। इसके बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार दिनांक 18.06.2019 को बैठक निर्धारित की गई।

4. आयोग ने अभ्यावेदक को पहले अपना पक्ष रखने को कहा, उन्होंने बताया कि जगलाल महतो को केंद्रीय सड़क अनुसंधान परिषद द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया है लेकिन जगलाल महतो ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी अतः विभाग को उनसे अभी तक दी गई राशि की वसूली करनी चाहिए और सजा देनी चाहिए।

5. केंद्रीय सड़क अनुसंधान परिषद के अधिकारियों ने बताया कि, जिला कलेक्टर द्वारा मामले की जांच की गई थी और विभाग को रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें बताया गया था कि उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। वर्ष 1990 में जब उसने नौकरी प्राप्त की थी तब उसमें था कि वह ''खरिया'' जाति से आता है जो कि अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज है। लेकिन बाद में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें पता चला कि वह ''नोनिया'' जाति से आता है जो कि पिछड़ी जाति के रूप में दर्ज है।

   विभाग द्वारा अक्टूबर 2018 में रूल 14 ते तहत चार्जशीट किया गया था और 30 जनवरी 2019 में उनको बर्खास्त कर दिया गया था। 10 जून 2019 को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस थाना में एफआईआर के लिए शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा कहा गया कि जांच के बाद एफआईआर दर्ज किया जाएगा। अपने मंत्रालय के लीगल सेल की परामर्श पर जगलाल महतो पर वसूली परिवाद भी दायर किया गया है। जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त थी जिसके आधार पर कार्रवाई की गई।

6. अभ्यावेदक ने कहा, जगलाल महतो पर विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इतने लंबे समय से उनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है। साथ ही मेरे द्वारा आयोग में मामले लाने पर उनलोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है। उनलोगों से मेरे जान को खतरा है।

7. आयोग द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात निम्नलिखित अनुशंसा की गई-
   - फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के मामले केंद्रीय सड़क अनुसंधान परिषद द्वारा जगलाल महतो पर वसूली के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
   - केंद्रीय सड़क अनुसंधान परिषद द्वारा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दिनांक 10.06.2019 दर्ज कराई गई शिकायत पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए।

Anus

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

- सारण जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के कई मामले सामने आए हैं अतः जिला प्रशासन इस संबंध में गंभीरता से जांच करे। फर्जीवाड़ा के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्राप्त लाभ अन्य समुदाय के व्यक्ति उठा रहे हैं। अभ्यावेदक की शिकायत के अतिरिक्त अन्य मामलों की शिकायत की भी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
- अभ्यावेदक को अनावेदक पक्ष के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है अतः अभ्यावेदक को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

उपरोक्त अनुशंसा के अनुपालन में कार्यवृत्त प्राप्त होने के 15 कार्य दिवस के अंदर कार्यवाही रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराएं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- SM/1/2018/STGBH/SEFCC/RU - III)

श्री सनोज कुमार, ग्राम- मटिहानी, पोस्ट- मटिहानी, थाना- दरियापुर, जिला- छपरा, सारण (बिहार) द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर जगलाल महतो के केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान में नौकरी प्राप्त करने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मियों की सूची-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.)	सुश्री अनुसुईया उईके,	माननीय उपाध्यक्ष
(2.)	डॉ ललित लट्टा,	निदेशक
(3.)	श्री गौरव कुमार,	उपाध्यक्ष महोदया के निजी सचिव
(4.)	श्री आलोक कुमार द्विवेदी,	परामर्शक

- **केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के अधिकारी**

(1.)	श्री अंजुम शर्मा,	सीओए

- **जिला प्रशासन, बिहार के अधिकारी**

(1.)	श्री सुब्रत कुमार सेन,	जिला कलेक्टर, सारण

- **अभ्यावेदक**

(1.) श्री सनोज कुमार